

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-पंचायत मुख्यालय सारणों का तला
प्रकरण सं.:-14/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/

854

दिनांक:-15.5.18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी होडू व भू.अ.नि.होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 75 के अनुसरण में ग्राम जैरूपोणियो का तला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जैरूपोणियो का तला	50	377,699,740,748,756 757,758,795,851 / 795	आमदान पुत्र गोरधन	आमदान उर्फ आदूराम पुत्र गोरधनराम शेष बद्दुस्तर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:-15.5.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/

895-96

सिलिलिपि:-

- 1.तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
- 2.प्रार्थी श्री आमदान उर्फ आदूराम पुत्र गोरधनराम निवासी जैरूपोणियो का तला तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- 3.रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(15.5.18)

